प्रशान्त कुमार,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं0 - 13 /2025

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर
विस्तार, लखनऊ-226002
दिनांक: अप्रैल 15, 2025

विषयः- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-1074/2017 शरीफ अहमद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 01.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि समय-समय पर मुख्यालय स्तर से पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित परिपत्रों के माध्यम से दं.प्र.सं की धारा-173(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाने वाली पुलिस रिपोर्ट में कतपिय महत्पूर्ण विन्दुओं का विवेचक द्वारा अनिवार्य रूप से उल्लेख करने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, किन्तु इन निर्देशों का सम्यक रूप से अनुपालन नहीं किये जाने के कतिपय प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

डीजी-परिपत्र सं0 – 30/2024 दि0 03.07.2024
डीजी-परिपत्र सं0 – 15/2024 दि0 02.04.2024
डीजी-परिपत्र सं0 – 28/2023 दि0 10.08.2023
डीजी-परिपत्र सं0 – 26/2022 दि0 09.09.2022
डीजी-परिपत्र सं0 – 59/2016 दि0 20.10.2016

2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-1074/2017 शरीफ अहमद व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांकित 01.05.2024 में पूर्व के निर्णयों के अतिरिक्त इस मुख्यालय द्वारा निर्गत कतिपय परिपत्रों, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-173 एवं पुलिस रेगुलेशन के पैरा-122 का संदर्भ देते हुये विवेचक द्वारा आरोपपत्र में अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने वाले महत्पूर्ण विन्दुओं का उल्लेख करने हेतु आदेश के प्रस्तर-30 एवं 31 में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं—

> 30. Our attention has been drawn to the format prescribed for the State of Uttar Pradesh, which by column 16 requires the investigating officer to state brief facts of the case. In addition, the State of Uttar Pradesh has issued a circular dated 19.09.2023, which refers to an earlier circular bearing No. 59 of 2016 dated 20.10.2016, and states that the investigation provisions contained in the Code and the police regulations with reference to Section 173 of the Code are not being consistently complied with and followed by the investigating officers and the supervising officers. The need to provide lead details of the offence in the chargesheet is mandatory as it is in accord with paragraph 122 of the police regulations. Similar directions were issued on 09.09.2022 following the direction of the High Court of Judicature at Allahabad that brief narration of the material collected during investigation, which forms the opinion of the investigating officer, should be mentioned in the chargesheet.

.....2

31. Therefore, the investigating officer must make clear and complete entries of all columns in the chargesheet so that the court can clearly understand which crime has been committed by which accused and what is the material evidence available on the file. Statements under Section 161 of the Code and related documents have to be enclosed with the list of witnesses. The role played by the accused in the crime should be separately and clearly mentioned in the chargesheet, for each of the accused persons.

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमिनल) संख्या-3620/2025 देवू सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु.अ.सं. 153/2024 धारा- 406, 506, 120B भादवि, थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्ध नगर में सुनवाई के दौरान यह पाया कि विवेचक द्वारा आरोप पत्र में समस्त सूचनायें अंकित करने सम्बन्धी मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं इस मुख्यालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस स्थिति पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये अधोहस्ताक्षरी को निम्नवत निर्देशित किया गया है—

The cognizance order, the summoning order and the chargesheet filed are prima facie contrary to the judgment of this Court in Sharif Ahmed & Anr. v. State of Uttar Pradesh & Anr.

In view of the aforesaid position, we require the Director General of Police, State of Uttar Pradesh, as well as the Station House Officer/Investigating Officer of the concerned police station to file their respective affidavits, viz. compliance with the directions issued in Sharif Ahmed (supra). The Director General of Police shall state the steps/action taken for compliance with the decision.

The affidavits shall be filed within a period of two weeks from today.

4- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि विवेचनाधिकारियों व पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं पुलिस रेगुलेशन में उपबन्धित विवेचना सम्बन्धी प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। CrPC की धारा-173(2) / BNSS की धारा-193(3) में प्राविधानित है कि अपराध पंजीकरण से लेकर विवेचना की समाप्ति तक का संक्षिप्त विवरण आरोप पत्र में अंकित किया जायेगा। पुलिस रेगुलेशन के पैरा-122 में भी यह व्यवस्था दी गयी है कि आरोपपत्र प्रेपित करते समय CrPC की धारा 173 के प्राविधानों का पालन किया जाये। पुलिस रिपोर्ट तैयार करते समय विवेचनाधिकारी को CAS साफ्टवेयर में निर्धारित फार्म IIF-V के विन्दु सं0-16 में स्पष्ट रूप से विवेचना का निष्कर्ष एवं संकलित साक्ष्यों का विवरण अंकित करना चाहिए जिससे मा० न्यायालय स्पष्ट रूप से समझ सके कि किस अभियुक्त द्वारा क्या अपराध कारित किया गया है तथा उसके विरूद्ध पत्रावली पर क्या साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसी विशिष्ट अपराध के भिन्न-भिन्न अभियुक्तों द्वारा पृथक-पृथक रूप से उस अपराध में क्या-क्या भूमिकाएँ निभाई गयी है, आरोप पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

.....3

5- मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के क्रम में यह आज्ञापक है कि विवेचनाधिकारी / पर्यवेक्षण अधिकारी सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में आरोप-पत्र तैयार करते समय सभी कॉलमों में सुसंगत तथ्यों यथा विवेचना के दौरान एकत्र की गयी सामग्री का स्पष्ट विवरण, जिसके आधार पर पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विवेचनाधिकारी की राय बनाता है जैसे-गवाहों के बयान, मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट तथा अन्य परीक्षण रिपोर्ट, अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य इत्यादि का संक्षिप्त सार CAS साफ्टवेयर के IIF-V के बिन्दु संख्या-16 में अवश्य अंकित करना / कराना सुनिश्चित करें।

7- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त विवेचनाधिकारियों एवं पर्यवेक्षक अधिकारियों को अवगत करा दें कि वे विवेचना में अपने विधिक दायित्वों तथा विवेचना से सम्बन्धित विधिक प्राविधानों का सम्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये आरोप पत्र में समस्त प्रविष्टियों को स्पष्ट रूप से पूर्ण करने के पश्चात ही आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित करें। यदि भविष्य में इन निर्देशों का पालन न करने का कोई दृष्टान्त प्रकाश में आता है तो सम्बन्धित विवेचनाधिकारियों / पर्यवेक्षण अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये ।

भवदीय,

15.4.25

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु</u> :—

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।